न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

आर्म्स अपील संख्या 02/2025

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
किशनसिंह धडिया पुत्र शंकरनाथ सिंह निवासी– द्रोणपुरी, गैस गोदाम रोड, पृथ्वीराज नगर, सेक्टर डी–द्वितीय, जयपुर हाल– निवासी सदर बाजार, सिरोही।		राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 विरूद्ध आदेश जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही आदेश क्रमांक पत्र. 21 (1)( ) न्याय/2023/224 दिनांक 02–02–2024 को पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री अनोप सिंह सोलंकी, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट की ओर से।

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ जोधपुर ★

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 25 जून, 2025

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही ने अपने आदेश क्रमांक पत्र. 21 (1)( ) न्याय/2023/224 दिनांक 02–02–2024 के द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र बाबत प्रस्तुत किये गये आवेदन दिनांक 17.04.2023 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट के द्वारा यह अपील दिनांक 12.02.2024 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलाण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ कार्यालय के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्रदान किये जाने बाबत प्रस्तुत किये गये आवेदन दिनांक 02.02.2024 को अधीनस्थ कार्यालय द्वारा उनके आदेश दिनांक 2.2.2024 द्वारा अस्वीकार किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन किये जाने पर जिला कलेक्टर कार्यालय के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही, पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, जयपुर, उप वन संरक्षक, सिरोही तथा तहसीलदार,

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सिरोही से नियमानुसार रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात उनका आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि प्रार्थी की आयु 67 वर्ष है एवं आवेदक को किसी प्रकार से जान–माल का खतरा नहीं है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट को आवेदन खारिज करने का आधार बनाया गया है। अपीलान्ट के द्वारा किसी के विरूद्ध खतरा होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाने का आधार सही नहीं है।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने आगे अभिकथन किया कि आयुध अधिनियम में लाईसेन्स देते वक्त आवेदक की उम्र के हिसाब से लाईसेन्स देने का कोई आधार नहीं है, फिर भी उम्र को देखते हुए जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपीलान्ट के आवेदन को खारिज कर दिया गया है, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है और न ही विधि के अनुकूल माना जा सकता है। अपीलान्ट डॉक्टर की पोस्ट से रिटायर्ड व्यक्ति है एवं अपनी पत्नी के साथ जयपुर महानगर में पति–पत्नी दोनों अकेले रहते है। महानगर में आये दिन गोलीबारी, लूठ व काण्ड हो रहे है जिस कारण से भी प्रार्थी को अपनी सुरक्षा के लिये लाईसेन्स की आवश्यकता है। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वो काबिल खारिज है।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में यह उल्लेख अवश्य है कि ''आवेदक को व्यक्तिगत रूप से किसी से खतरा नहीं है, ना ही आवेदक द्वारा पूर्व में स्वयं के खतरे के लिये कोई लिखित रिपोर्ट थाने में पेश की गई है'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य के अलावा रिपोर्ट के अन्य तथ्यों को कोई तव्वजो नहीं दी गई है जैसा कि ऊपर पैरा में वर्णित किया गया है और अपनी जान– माल की सुरक्षा हेतु खतरा बताया है और उसी के कारण सुरक्षा हेतु शस्त्र लाईसेन्स की आवश्यकता था और अनुज्ञप्ति दिया जाना आवश्यक था। अपीलान्ट के पास पैतृक हथियार है जो अपीलान्ट के पिता के नाम से लाईसेन्सशुदा था। पिताजी के देहान्त होने के उपरान्त अन्य सभी दावेदारों ने प्रार्थी के पक्ष में लिखित में अपनी सहमति प्रदान की थी कि प्रार्थी को अगर पैतृक हथियार का लाईसेन्स प्रदान किया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इन सभी तथ्यों को जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि आयुध अधिनियम में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार आवेदक यदि मन्दबुद्धि हो, 21 वर्ष से कम आयु का हो, या फिर हिंसा तथा नैतिक दुराचरण में शामिल हो तो ही अनुज्ञप्ति से मना किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु पेश आवेदन पर सभी विभागों से आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त की गई थी, जो सभी सकारात्मक थी। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी ठोस एवं विधिक आधारों के अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र आवेदन को अपीलाधीन आदेश के जरिये खारिज किया गया है, वह अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलान्ट उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.2.2024 की प्रथम बार जानकारी दिनांक 7.2.2024 को होने पर उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करते हुए अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर एवं उनकी सलाह लेकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अन्दर मियाद पेश की गई है, जिसे अन्दर मियाद माना जाये। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाये एवं माफिक आवेदन अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान करायें। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2013 CANDID 953: 2013 WLN 453 अवलोकनार्थ पेश किया गया जिसका बगौर अवलोकन किया गया।

8. प्रत्युतर में दौराने सुनवाई विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा अपीलान्ट के द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पर सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही के द्वारा अपीलान्ट की उम्र 67 वर्ष की होने से तथा उनके द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्ध जान माल की सुरक्षा अथवा हमला होने सम्बन्धी कोई रिपोर्ट पुलिस के समक्ष दर्ज नहीं करवाई जाने के आधार को लेकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना उचित नहीं होने की रिपोर्ट जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित किये जाने पर जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। वो अपीलाधीन आदेश विधि के अनुकूल उचित होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जावें।

9. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया है कि अधीनस्थ कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही ने अपने आदेश क्रमांक पत्र. 21 (1)( ) न्याय/2023/224 दिनांक 02–02–2024 के द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र बाबत प्रस्तुत किये गये आवेदन दिनांक 17.04.2023 को इस आधार पर खारिज किया गया है कि ''जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक की उम्र करीब 67 वर्ष है एवं आवेदक को किसी प्रकार का जान–माल का खतरा नहीं होना पाया गया है।'' जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा प्रार्थी के आवेदन को खारिज करने में जो आधार अंकित किया है, उसे आयुध अधिनियम के अनुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि किसी व्यक्ति के भविष्य में जान–माल की सुरक्षा अथवा हमला होने के तथ्य को पूर्ववर्ती कैसे समझा जा सकता है और किसी व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार का व्यक्तिगत खतरा होना पहले से कैसे निर्धारित किया जा सकता है तथा बिना साक्ष्य के कोई व्यक्ति कैसे अपने विरूद्ध अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आर्म्स अधिनियम के नियमों का हवाला देते हुए शस्त्र धारण किये जाने हेतु अनुज्ञा पत्र 70 वर्ष तक की आयु

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

के व्यक्ति को जारी किये जाने का प्रावधान बताया है। ऐसे में उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त व उपरोक्त ऑब्जर्वेशन्स के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आयुध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी के प्रकरण में पुनः नये सिरे से निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट सिरोही को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2024 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उपरोक्त ऑब्जर्वेशन्स कोमध्यनजर रखते हुए एवं अपीलार्थी को सुनवाई हेतु स्वयं का पक्ष रखे जाने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से यथोचित निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 25 जून, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर